रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102026-277019
CG-MH-E-09102026-277019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948
No. 610] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 अक्तूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी-डी.ओ.पी/2026/325.–भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(2)(खक) तथा धारा 12(1क) के साथ पठित धारा 30(1) द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 द्वारा और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बेवें दिन लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में,–

I. विनियम 2(1) में,–

(क) खंड (ख) हट जाएगा;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् -

"(घ) "बेनिफिशियल ओनर" (हिताधिकार स्वामी) का अर्थ है,-

(i) "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद" (इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट) के मामले में, वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) या फिर डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (निक्षेपागार सहभागी) के रिकॉर्ड में एक बेनिफिशियल ओनर के रूप में दर्ज हो;

(ii) बुलियन वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मामले में, ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की कोई म्यूचुअल फंड स्कीम;

(iii) बुलियन वाले डेरिवेटिव्ज़ के मामले में, क्लीयरिंग कारपोरेशन के रिकॉर्ड के अनुसार वह व्यक्ति जिसके नाम पर या जिसके पास डेरिवेटिव कॉण्ट्रैक्ट हों;"

(ग) खंड (ङ) के बाद और खंड (च) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात् –

"(ङक) "बुलियन" का अर्थ है - वे कीमती धातुएँ (जिनमें सोना, चाँदी या कोई दूसरी कीमती धातु शामिल हैं), जो बुलियन से जुड़े किसी इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग हों;

(ङख) "बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट" का अर्थ है - इलेक्टॉनिक गोल्ड रसीदें, बुलियन वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बुलियन वाले डेरिवेटिव्ज़, और बुलियन से जुड़े कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट या कॉण्ट्रैक्ट, जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर मंज़ूरी प्रदान की जाए;"

(घ) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् –

"(छ) "जमाकर्ता" (डिपॉज़िटर) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट हेतु बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से वॉल्ट में बुलियन जमा कराता है;"

(ङ) खंड (ज) के बाद और खंड (झ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(जक) "एक्सचेंज ट्रेडेड फंड" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 में इसके लिए दिया हुआ है;"

(च) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् –

"(झ) "बुलियन डिलीवरी स्टैंडर्ड" का अर्थ है - बुलियन से जुड़े अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट हेतु बुलियन की गुणवत्ता (क्वालिटी) या उसके पैमाने (स्टैंडर्ड / मानक), जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;"

(छ) खंड (ञ) हट जाएगा;

(ज) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् –

"(ड) बुलियन के संदर्भ में "वॉल्ट संबंधी सेवा" का अर्थ है - बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट के उद्देश्य से, वॉल्ट प्रबंधक के यहाँ जमा रखे गए बुलियन को संभालकर (का भंडारण / स्टोरेज करके) सुरक्षित रखना और उससे जुड़ी सेवाएँ प्रदान करना, और जिसमें शामिल हैं -

(i) लागू बुलियन डिलीवरी स्टैंडर्ड (पैमानों) के अनुसार बुलियन को परखने (की टेस्टिंग), जहाँ जरूरी हो, के लिए पारखियों (असेयर) की सेवाएँ लेना;

(ii) इलेक्टॉनिक गोल्ड रसीद जारी किए जाने, उसे ट्रांसफर किए जाने और उसे समाप्त किए जाने के संबंध में डिपॉज़िटरी के साथ समन्वय करना; और

(iii) बुलियन जमा रखने, उसे संभालकर रखने (उसके स्टोरेज) और उसे निकलवाने संबंधी सेवाएँ बेनिफिशियल ओनर को प्रदान करना;"

(झ) खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(ढ) "वॉल्ट संबंधी सिस्टम" का अर्थ है - रजिस्टर वॉल्ट प्रबंधक द्वारा बुलियन से जुड़े इंस्ट्रमेंट के संबंध में वॉल्ट संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाए गए और उसके द्वारा संचालित वॉल्टों का नेटवर्क ।"

II. विनियम 2 के बाद और विनियम 3 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"विनियमों का लागू होना

2क. ये विनियम उस हर वॉल्ट प्रबंधक पर लागू होंगे, जो बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट [जिनका जिक्र इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में किया गया है] की अंडरलाइंग के तौर पर रखे बुलियन को संभालकर रखता हो या रखना चाहता हो ।"

III. विनियम 4 में –

(क) खंड (ख) में, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर" आ जाएगा;

(ख) खंड (च) में, –

(ग) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात् –

"(i) बुलियन जमा कराने, उसे संभालकर रखने (उसके स्टोरेज) और उसे निकलवाने की क्या प्रक्रिया होगी;"

(i) उप-खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्–

"(v) बुलियन की सुरक्षा (जिसमें चोरी, सेंधमारी, आग, धोखाधड़ी, लापरवाही, आतंकवादी गतिविधियों, साइबर हमलों या किसी अन्य खतरे से बचाव भी शामिल है) सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा नीति क्या होगी;"

(ii) उप-खंड (vi) में, शब्द "लापरवाही" के बाद और शब्दों "और अनिवार्य बाध्यता" से पहले, चिह्न तथा शब्द ", आतंकवादी गतिविधियों, साइबर हमलों" जोड़े जाएँगे;

(iii) उप-खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात् –

"(ix) रखे हुए बुलियन का मिलान उसके रिकॉर्ड से और, यथास्थिति, डिपॉज़िटरी, क्लीयरिंग कारपोरेशन, असेट मैनेजमेंट कंपनी या कस्टोडियन के रिकॉर्ड से समय-समय पर करने की प्रक्रिया क्या होगी;"

IV. विनियम 5(2) में, शब्द "प्रमाणपत्र" से पहले शब्द "रजिस्ट्रीकरण" जोड़ा जाएगा।

V. विनियम 12 में, –

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

"(1) वॉल्ट प्रबंधक उसी प्रकार बुलियन जमा (डिपॉजिट) करने के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।"

(ख) उप-विनियम (1) के बाद और उप-विनियम (2) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(1क) वॉल्ट प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बुलियन वॉल्ट संबंधी सिस्टम से कभी भी बाहर न जाए, और इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली हर दूसरी शर्त का पालन हो।"

(ग) उप-विनियम (2) में, शब्दों "स्टॉक एक्सचेंज द्वारा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बोर्ड द्वारा समय-समय पर" आ जाएँगे;

(घ) उप-विनियम (4) में, शब्दों "सोने के मानकों" के स्थान पर शब्द "बुलियन डिलीवरी स्टैंडर्ड" आ जाएँगे;

(ङ) उप-विनियम (5) हट जाएगा;

(च) उप-विनियम (6) में, शब्दों "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद नहीं जारी करेगा" के बाद शब्द "या अपने वॉल्ट में बुलियन जमा कराए जाने का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं करेगा" जोड़े जाएँगे;

(छ) उप-विनियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

"(12) वॉल्ट प्रबंधक रखे हुए बुलियन का मिलान उसके रिकॉर्ड से और, यथास्थिति, डिपॉज़िटरीज़, क्लीयरिंग कारपोरेशन्स, असेट मैनेजमेंट कंपनियों या कस्टोडियन के यहाँ बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट के संबंध में रखे जा रहे रिकॉर्ड से समय-समय पर करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगा ।"

(ज) उप-विनियम (13) में, शब्दों तथा चिह्नों “निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) या क्लीयरिंग कारपोरेशन या असेट मैनेजमेंट कंपनी या कस्टोडियन” जोड़े जाएँगे;

(झ) उप-विनियम (14) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

“(14) वॉल्ट प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए तरीके से बुलियन डिलीवर करेगा (सौंपेगा) ।”

(ञ) उप-विनियम (17) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

“(17) वॉल्ट प्रबंधक अपने मान्यताप्राप्त वॉल्ट में रखे बुलियन की एवज में न तो अपने नाम पर बुलियन से जुड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट जारी करेगा और न ही अपने नाम पर बुलियन जमा करेगा ।”

(ट) उप-विनियम (18) में, शब्दों “इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जारी करने के लिए” के स्थान पर शब्द “वॉल्ट प्रबंधक” आ जाएँगे;

(ठ) उप-विनियम (20) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

“(20) वॉल्ट प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बेनिफिशियल ओनर को बुलियन की डिलीवरी ‘बुलियन डिलीवरी स्टैंडर्ड’ के अनुसार ही हो ।”

(ड) उप-विनियम (22) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

“(23) यदि कोई वॉल्ट प्रबंधक किसी बेनिफिशियल ओनर को बुलियन सौंपने से मना करता है या सौंप नहीं पाता है, तो ऐसे में यह साबित करने की जिम्मेदारी वॉल्ट प्रबंधक की होगी कि उसने किस वाजिब

वजह के आधार पर इस तरह से बुलियन सौंपने से मना किया है या नहीं सौंपा है ।"

VI. विनियम 13 में –

(क) मौजूदा विनियम अब उप-विनियम (1) बन जाएगा;

(ख) शब्दों "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में ट्रेडिंग के लिए सोने के भंडारण" के स्थान पर शब्द "बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग के तौर पर रखे बुलियन को संभालकर रखने (के स्टोरेज) के लिए" आ जाएँगे;

(ग) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(2) वॉल्ट प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग के तौर पर जो बुलियन वॉल्ट में संभालकर रखा गया हो, उसे हर इंस्ट्रूमेंट के अनुसार और हर एंटिटी के अनुसार अलग-अलग रखा जाए ।"

VII. विनियम 14(2) में –

(क) खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों "सोने के भंडारण, उसके अंतरण (ट्रांसफर) और उसे निकाले जाने से संबंधित ब्यौरे" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बुलियन जमा कराए जाने, उसे संभालकर रखे जाने (स्टोरेज), उसे ट्रांसफर (अंतरित) किए जाने और उसे निकाले जाने से संबंधित ब्यौरे" आ जाएँगे;

(ख) खंड (च) में शब्दों तथा चिह्नों "हिताधिकारी स्वामियों (बेनिफिशियल ओनर) से मिले और उन्हें" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "यथास्थिति, डिपॉजिटरीज़, क्लीयरिंग कारपोरेशन्स, ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनियों) या कस्टोडियन से मिले और को" आ जाएँगे ।

VIII. विनियम 14 के बाद और विनियम 15 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति

14क. (1) प्रत्येक वॉल्ट मैनेजर एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) को नियुक्त करेगा, जो अधिनियम (एक्ट), उसके तहत जारी किए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स), जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स), जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) या जारी किए गए निदेशों, आदि के पालन पर नज़र रखने के लिए और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) यदि अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नज़र में ऐसा कोई मामला आए कि कहीं किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है, तो वह उसकी रिपोर्ट बोर्ड को तुरंत और स्वतंत्र रूप से देगा ।

(3) अधिनियम, उसके तहत जारी किए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स), जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए दिशानिर्देशों, जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) या निदेशों के उल्लंघन से जुड़े किसी मामले की और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की रिपोर्ट बोर्ड को तिमाही आधार पर उसी प्रकार देगा, जैसा बोर्ड बताए ।"

IX. विनियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात् –

"कुछ मामलों में वॉल्ट प्रबंधक द्वारा नुकसान की भरपाई

15. यदि वॉल्ट संबंधी सेवाएँ प्रदान करते समय कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसे में वॉल्ट प्रबंधक बेनिफिशियल ओनर को उस नुकसान की भरपाई उसी प्रकार करेगा, जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए ।"

X. अध्याय - IV में,

(क) शीर्षक में शब्दों "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें" के स्थान पर शब्द "बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट" आ जाएँगे;

(ख) विनियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्–

"रजिस्टर्ड वॉल्ट प्रबंधक की सेवाएँ लेना

17. बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग के तौर पर रखे जाने वाले बुलियन को संभालकर रखने (के स्टोरेज) के लिए यदि कोई एंटिटी वॉल्ट संबंधी सेवाएँ लेना चाहती हो, तो वह ये सेवाएँ केवल बोर्ड से रजिस्टर वॉल्ट प्रबंधक से ही लेगी:

परंतु यह कि यदि कोई एंटिटी बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए वॉल्ट संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रही हो, तो वह इन विनियमों के लागू होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि तक ऐसे बुलियन को संभालकर रखना (का स्टोरेज करना) जारी रख सकेगी, हालाँकि इसके लिए उसे इस अवधि के भीतर बोर्ड के पास रजिस्टर होने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।"

(ग) विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात् -

"बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग के तौर पर रखे जाने वाले बुलियन के लिए वॉल्ट संबंधी सेवाएँ किस प्रकार प्रदान की जाएँगी और उसके संबंध में क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी

18. बुलियन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट के संबंध में वॉल्ट संबंधी सेवाएँ उसी प्रकार प्रदान की जाएँगी और इस संबंध में वही प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी, जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए ।"

(ग) विनियम 19 हट जाएगा;

XI. विनियम 20(घ) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात् -

"(घ) शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) के हित में या निवेशकों के हित में वॉल्ट प्रबंधक के कामकाज का इच्छानुसार निरीक्षण करने (जैसा ठीक समझा जाए) के लिए ।"

XII. विनियम 25 के परंतुक में, शब्दों "वॉल्ट प्रबंधक" और "उसके निदेशकों" के बीच दिए हुए शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" आ जाएगा ।

XIII. विनियम 27 में -

(क) खंड (क) में, शब्दों "बनाए गए नियमों" के बाद और शब्दों "या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है" से पहले चिह्न तथा शब्द ", विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स)" जोड़े जाएँगे;

(ख) खंड (ङ) में, शब्दों "की जाने वाली किसी जाँच या किए जाने वाले किसी निरीक्षण" से पहले शब्द तथा चिह्न "किए जाने वाले किसी ऑडिट," आ जाएँगे;

XIV. विनियम 28 में, शब्दों तथा चिह्नों "इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने या उनकी व्याख्या के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड उपयुक्त परिपत्र (सर्कुलर) या दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "इन विनियमों के प्रावधानों के लागू होने को लेकर या उनके आशय को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड के पास उपयुक्त स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी करने की शक्ति होगी" आ जाएँगे ।

XV. विनियम 28 के बाद, निम्नलिखित विनियम आ जाएँगे, अर्थात् -

"**प्रक्रियाएँ निर्धारित करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति**

28क. इन विनियमों को लागू कराने और इनसे जुड़े मामलों के संबंध में, बोर्ड परिपत्र (सर्कुलर) जारी करके वे मानदंड, प्रक्रियाएँ आदि, तरीके या दिशानिर्देश निर्धारित कर सकेगा, जिनका इन विनियमों में जिक्र किया गया है ।

विनियमों के कड़ाई से लागू होने से छूट प्रदान करने की शक्ति

28ख. (1) बोर्ड या तो स्वयं या फिर वॉल्ट प्रबंधक द्वारा आवेदन किए जाने पर, उन कारणों से जो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएँ, इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में, कुछ शर्तों [जो बोर्ड शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों और शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हितों में निर्धारित करना ठीक समझे] के तहत छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

(क) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से या तकनीकी कारणों से जरूरी है; या

(ख) प्रावधानों का पालन उन कारणों से नहीं हो पाया, जो एंटिटी के नियंत्रण से परे थे ।

(2) उप-विनियम (1) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह विस्तार से बताया जाएगा कि छूट किस आधार पर माँगी गई है, और आवेदन करते समय एक लाख रुपये की फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी जमा करानी होगी, जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) से अदा की जाएगी ।”

XVI. पहली अनुसूची में, फॉर्म-क में -

(क) जिस खंड का शीर्षक “वित्तीय जानकारी” है उसमें, मद 2 के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् -

“3. करवाए गए बीमे (इंश्योरेंस) के ब्यौरे ।”

(ख) जिस खंड का शीर्षक “वॉल्ट से संबंधित जानकारी” है उसमें, मद 2(xv) के स्थान पर निम्नलिखित मद आ जाएगी, अर्थात् -

"(xv) वॉल्ट में कितने स्टाफ सदस्य कार्यरत हैं, और उनके ब्यौरे जैसे कि उनका नाम, उनका पदनाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता और इस कारोबार में उनके अनुभव के ब्यौरे ।"

XVII. तीसरी अनुसूची में, खंड (1) में, -

(क) मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद आ जाएगी, अर्थात् -

"(i) बुलियन के बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरीज़, क्लीयरिंग कारपोरेशन्स, ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनियों) या कस्टोडियन को वॉल्ट संबंधी सेवाएँ तत्परता से प्रदान करेगा ।"

(ख) मद (x) में, शब्दों "हिताधिकारी स्वामी की जानकारी के संबंध में गोपनीयता बरतेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरीज़, क्लीयरिंग कारपोरेशन्स, ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनियों) या कस्टोडियन की जानकारी गोपनीय रखेगा" आ जाएँगे;

(ग) मद (xii) में, शब्दों तथा चिह्नों "निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "डिपॉज़िटरीज़ (निक्षेपागारों), ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनियों) या कस्टोडियन" आ जाएँगे ।

XVIII. शब्द "सोना" या शब्द "सोने" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द "बुलियन" आ जाएगा ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./379/2026-27]

<u>टिप्पणी</u>:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2021-61) 31 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (VAULT MANAGERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F. No. SEBI/LAD-DOP/2026/325. — In exercise of the powers conferred by section 30(1) read with section 11(2)(ba), section 12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) (Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, —

I. in regulation 2(1), —

(a) clause (b) shall be omitted;

(b) clause (d), shall be substituted with the following, namely —

"(d) "beneficial owner" in relation to, -

(i) Electronic Gold Receipts means a person whose name is recorded as a beneficial owner in the records of a depository or depository participant;

(ii) Exchange Traded Funds on bullion means the specific mutual fund scheme of such Exchange Traded Funds;

(iii) derivatives on bullion means the owner or holder of the derivative contracts as recorded by the clearing corporation;"

(c) after clause (e) and before clause (f), following clauses shall be inserted, namely —

"(ea) "bullion" means precious metals including gold, silver or any other precious metal, which forms an underlying for a bullion related instrument;

(eb) "bullion related instruments" means Electronic Gold Receipts, Exchange Traded Funds on bullion, derivatives on bullion, and any other bullion related instruments or contracts, as may be permitted by the Board from time to time;"

(d) clause (g), shall be substituted with the following, namely —

"(g) "Depositor" means a person who deposits the bullion with the vault in the manner as specified by the Board for bullion related instruments;"

(e) after clause (h) and before clause (i), following clause shall be inserted, namely —

"(ha) "Exchange Traded Funds" shall have the meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026;"

(f) clause (i), shall be substituted with the following, namely —

"(i) "bullion delivery standards" means the quality or standard of bullion as specified by the Board, for different bullion related instruments;"

(g) clause (j) shall be omitted;

(h) clause (m), shall be substituted with the following, namely —

"(m) "Vaulting service" in relation to bullion means the storage and safe keeping of bullion deposited with the Vault Manager, for the purpose of

bullion related instruments and providing services incidental thereto, and includes-

(i)utilizing the services of assayers for the purpose of testing of bullion, as per applicable bullion delivery standards, wherever required;

(ii) coordination with the depositories for creation, transfer and extinguishment of Electronic Gold Receipt; and

(iii) providing deposit, storage and withdrawal services to the beneficial owners;"

(i) after clause (m), following clause shall be inserted, namely —

"(n) "Vaulting system" means the network of vaults established and maintained by a registered Vault Manager for providing vaulting services in relation to the bullion related instruments."

II. After regulation 2 and before regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely —

"Applicability of the regulations

2A. These regulations shall apply to every Vault Manager undertaking or intending to undertake storage of bullion underlying the bullion related instruments as specified in these regulations."

III. In regulation 4 —

(a) in clause (b), the word "fifty" shall be substituted with the words and symbol "seventy-five";

(b) in clause (f), —

(i) sub-clause (i), shall be substituted with the following, namely —

"(i) Procedures for deposit, storage and withdrawal of bullion;"

(ii) sub-clause (v), the following shall be substituted, namely —

"(v) Security policy for ensuring the safety of bullion including from theft, burglary, fire, fraud, negligence, terrorism, cyber-attack or any other threat;"

(iii) sub-clause (vi), after the word "negligence" and before the words "as well as", the words and symbol ", terrorism, cyber-attack" shall be inserted;

(iv) sub-clause (ix), shall be substituted with the following, namely —

"(ix) Procedure for periodic reconciliation of physical bullion with the records maintained by it and with the records of the depository, clearing corporation, asset management company or custodian, as the case may be;"

IV. in regulation 5(2), after the words "grant of certificate" and before the symbol "." the words "of registration" shall be inserted.

V. in regulation 12, —

(a) sub-regulation (1), shall be substituted with the following, namely —

"(1) The Vault Manager shall be responsible for taking the deposit of the bullion, in the manner specified by the Board from time to time."

(b) after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely —

"(1A) The Vault Manager shall ensure that the bullion has never exited from the vaulting system, and is in conformity with any other condition as may be specified by the Board from time to time."

(c) in sub-regulation (2), the words "stock exchange" shall be substituted with the words "Board from time to time";

(d) in sub-regulation (4), the words "gold standard" shall be substituted with the words "bullion delivery standard";

(e) sub-regulation (5) shall be omitted;

(f) in sub-regulation (6), after the words "an Electronic Gold Receipt" and before the words "without underlying", the words and symbol "or any record of deposit of bullion in its vault," shall be inserted;

(g) sub-regulation (12), shall be substituted with the following, namely —

"(12) The Vault Manager shall devise procedures for periodic reconciliation of physical bullion with the corresponding record of bullion related instruments as maintained by it and the depositories, clearing corporations, asset management companies or custodians, as the case may be."

(h) in sub-regulation (13), after the word "depository" and before the words "and physical", the words "or clearing corporation or asset management company or custodian" shall be inserted;

(i) sub-regulation (14), shall be substituted with the following, namely —

"(14) The Vault Manager shall deliver the bullion in the manner specified by the Board from time to time."

(j) sub-regulation (17), shall be substituted with the following, namely —

"(17) The Vault Manager shall not create any bullion related instrument or deposit bullion in its own name with respect to the bullion stored in its recognized vaults."

(k) in sub-regulation (18), the words "for the creation of Electronic Gold Receipt" shall be omitted;

(l) sub-regulation (20), shall be substituted with the following, namely —

"(20) The Vault Manager shall ensure that delivery of bullion to the beneficial owner is in conformity with the bullion delivery standards."

(m) after sub-regulation 22, the following sub-regulation shall be inserted, namely —

"(23) If a Vault Manager refuses or fails to hand over the bullion to the beneficial owner, the burden of proof shall lie on the Vault Manager to establish the existence of a lawful excuse for its refusal or failure to allow such withdrawal."

VI. in regulation 13 —

(a) the existing regulations shall be numbered as sub-regulation (1);

(b) the words "gold for trading of Electronic Gold Receipt" shall be substituted with the words "bullion underlying the bullion related instruments";

(c) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely —

"(2) The Vault Manager shall ensure that the bullion underlying the bullion related instruments stored in the Vaults is also segregated instrument-wise and entity-wise."

VII. in regulation 14(2) —

(a) in clause (b), after the words "Details of" and before the words "storage", the word and symbol "deposit," shall be inserted;

(b) in clause (f), the words "beneficial owner" shall be substituted with the words and symbol "depositories, clearing corporations, asset management companies or custodians, as the case may be".

VIII. After Regulation 14 and before Regulation 15, the following regulation shall be inserted, namely —

"Appointment of compliance officer

14A. (1) Every Vault Manager shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, circulars or directions, etc. issued thereunder and for the redressal of investors' grievances.

(2) The compliance officer shall immediately and independently, report to the Board any non-compliance observed by him.

(3) The compliance officer shall submit a report of any non-compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, circulars or directions issued thereunder and of the redressal of investors' grievances, to the Board on a quarterly basis in the manner as specified by the Board.”

IX. Regulation 15, shall be substituted with the following, namely —

“**Vault Manager to indemnify loss in certain cases**

15. If any loss is caused in the course of providing vaulting services, the Vault Manager shall indemnify the beneficial owner for such losses, in the manner specified by the Board from time to time.”

X. In Chapter IV,

(a) the heading “ELECTRONIC GOLD RECEIPTS” shall be substituted with “BULLION RELATED INSTRUMENTS”;

(b) regulation 17, shall be substituted with the following, namely —

“Obligation to avail services of Registered Vault Manager.

17. Any entity availing the vaulting services for the purpose of storage of bullion underlying bullion related instruments shall avail such services only from a Vault Manager registered with the Board:

Provided that any entity providing vaulting services for bullion-related instruments may continue to store such bullion for a period of three months from the date of commencement of these regulations, subject to submitting an application for registration to the Board within the said period.”

(c) regulation 18, shall be substituted with the following, namely —

"Manner and Procedures for providing Vaulting Services for Bullion Underlying Bullion Related Instruments

18. The manner and procedure for providing vaulting services with respect to bullion related instruments shall be specified by the Board from time to time."

(d) Regulation 19 shall be omitted;

XI. Regulation 20(d), shall be substituted with the following, namely —

"(d) to inspect *suo-motu* into the affairs of the Vault Manager, as may be deemed fit, in the interest of the securities market or in the interest of investors."

XII. In the proviso to Regulation 25, the word "or" occurring between the words "the Vault Manager" and "its directors", shall be substituted with the word "and".

XIII. In regulation 27 —

(a) in clause (a), after the words "the rules" and before the words "framed thereunder", the words and symbol ", regulations or circulars" shall be inserted;

(b) in clause (e), after the words "in any" and before the word "enquiry", the word and symbol "audit," shall be inserted;

XIV. In regulation 28, the word "may", shall be substituted the words "shall have the power to".

XV. After regulation 28, the following regulations shall be inserted, namely —

"**Power to specify procedures and issue clarifications**

28A. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Board may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines as specified in these regulations, by way of circulars.

Power to relax the strict enforcement of the regulations

28B. (1) The Board may suo motu or upon an application made by a Vault Manager, for reasons recorded in writing, grant relaxation from the strict compliance of any of the provisions of these regulations subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of the investors in securities and the securities market, if the Board is satisfied that:

(a) relaxation is procedural or technical in nature; or

(b) the non-compliance was caused due to factor beyond the control of the entity.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board and such application shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI payment gateway or any other mode specified by the Board from time to time."

XVI. In the First Schedule, in Form A —

(a) in the section titled "Financial Information", after item 2, the following shall be inserted, namely —

"3. Details of insurance taken."

(b) in the section titled "Information Concerning the Vault(s)", item 2(xv) shall be substituted with the following, namely —

"(xv) Number of staff members in the vault(s) along with their details viz. name, designation, educational qualifications and details of experience in the business."

XVII. In the Third Schedule, in clause (1) —

(a) item (i), shall be substituted with the following, namely —

"(i) be prompt in providing vaulting services to the beneficial owner of bullion, depositories, clearing corporations, asset management companies or custodians."

(b) in item (x), after the words "beneficial owner" and before the symbol ".", the words and symbol ", depositories, clearing corporations, asset management companies or custodians" shall be inserted;

(c) in item (xii), after the words "depositories" and before the words "and clearing organizations", the words and symbol ", asset management companies or custodians" shall be inserted.

XVIII. The word "gold" wherever appearing in the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, shall be substituted by the word "bullion".

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./379/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021 was published in the Gazette of India on December 31, 2021 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/61 and was last amended on February 10, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA